इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020—कार्तिक 22, शक 1942

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

अधि.क्र. 395—एफ—1—246—2020—अठारह—3.— भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 126 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपत्ति कर की गणना के प्रयोजन के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

8.	खुले में या सार्वजनिक स्थलों पर पशुमल को विसर्जित करवाने और सफाई नहीं करने वालों पर	500	500	500	200
9	छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वालों द्वारा शहर के सौंदर्य स्थानों, पार्कों, पर्यटन स्थलों आदि में खुले में अपशिष्ट फेंकने पर	500	300	250	100
10	जलप्रदाय व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250
11	सीवेज व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–3–71–2020–अठारह–5.– मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभवना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम–6 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(3) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक्रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर को, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर, भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञा, ऐसे कॉलोनाईजर जो भूखण्ड/भवन विक्रय का आशय रखते हों, को, जारी नहीं की जा सकती:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद/संरचना इंजीनियर को नहीं देगा, जो नियम 26–क एवं 26–ख में उपबंधित मानदण्डों का पालन नहीं करते हों तथा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव न हो।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. **शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–03–71–2020–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ–03–71–2020–अठारह–5, दिनांक 7 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. **शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

Bhopal, the 7 November 2020

No. F-371-2020-XVIII-5.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any persons with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely : -

"(3) Architect/ Structural Engineer duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter after getting approval of the Director, town and country planning :

Provided that such permission cannot be issued to the colonisers who intend to sale the plot/ building.

Provided further that the competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and do not possess minimum 10 years experience."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 2016–1264–2019–पचास–2.–

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–